तस्करी के मकड़जाल में फंसी बेबस लड़कियां

रश्मि शर्मा, स्वतंत्र पत्रकार

पलायन का नया तो नहीं मगर वीभत्स चेहरा है युवा लड़कियों का पलायन या तस्करी. एक ऐसा मकड़जाल जिसमें चाहे-अनचाहे लड़कियां फंस जाती हैं. झारखंड के तो कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां से हर दूसरे घर से लड़कियां काम करने के लिए बाहर चली गयी हैं. दिल्ली के पंजाबीबाग में कई ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, जो लड़कियों की खरीद-फरोख्त का धंधा करती हैं. यह एक ऐसा मुनाफे वाला सौदा है जिसमें केवल फायदा ही फायदा है.

अपना अनुभव सुनाते हुए 15 वर्ष की सुमिति मुरमू, जो मांडर की है, और अब एक सुधार गृह में हैं, कहती हैं कि मेरे सौतेले पिता हैं. घर में पैसे की कमी है. गांव की ही एक रिश्ते में चाची लगती थी, आयी और मां से कहा कि इसे बाहर काम करने भेज दो. पैसे कमाएगी तो तुमलोगों को भी आराम हो जाएगा. समझाने पर मां मान गयी और मुझसे कहा कि चली जाओ इनके साथ. मेरे साथ दो और लड़कियां भी तैयार थी जाने के लिए. सबसे पहले वो आंटी हमें लेकर दिल्ली गयी. वहां एक एजेंसी में रखा. नाम के बारे में वह अनभिज्ञता प्रकट करती है. कहती है, दो कमरे का मकान था. मेरे साथ और भी कुछ लड़कियां थीं. सबसे पहले मुझे पंजाब भेजा गया. वहां तीन महीने तक काम किया. मगर मन नहीं लगता था. एक बार प्लेसमेंट एजेंसी वाले ने फोन किया तो मैंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे वापस भेज दो. तो वे लोग मुझे बुला लिए.

दूसरे ही दिन एक कोठी में काम लगा दिया गया. वहां बच्चे की देखभाल करनी थी. दो साल तक मैंने वहीं काम किया. मालकिन कभी-कभी डांटती थी. मुझे अच्छा नहीं लगता था मगर काम तो करना ही था. वहां मैं दो साल रही.

फिर उस आंटी ने मुझे अपनी मां के घर भेज दिया. उन्हें नयी काम करने वाली मिल गयी थी. उनकी मां अच्छे स्वभाव की नहीं थी. मुझे बहुत डांटती थी. कई बार तो पैर चलाकर भी मारती थी. मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था. जब सहन नहीं हुआ तो एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो मैं भाग गयी. पर, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और पता पूछने के बाद यहां वापस रांची भेज दिया. यहां तीन महीने से सुधार गृह में हूं. घर जाना चाहती हूं, मगर घरवाले आते ही नहीं मुझे लेने. यह कहते कहते-कहते सुमिति की आंख डबडबा जाती है. पैसे का क्या हुआ पूछने पर कहती है कि मैं सब छोड़कर भाग आयी. पैसे मेरे हाथ में नहीं दिए जाते थे. वे लोग कहते थे कि एक ही बार में जाते वक्त मिलेगा. अब न हाथ में पैसे हैं, न ही मां मेरी कोई खबर लेती है. जाने क्या होगा.

ऐसी परिणति होती है इन लड़कियों की. न चैन से रह पाती हैं और न ही पूरे पैसे हाथ आते हैं. इस सबके बारे में जब और जानकारी हासिल की गयी और गांव के लोगों से बात की गयी तो इस दौरान जो कड़ी उभर कर सामने आयी, वो इस तरह है.

दिल्ली और महानगरों में खुली प्लेसमेंट एजेंसी रोजगर के नाम पर युवतियों को अपने पास लाती हैं. इस कार्य के लिए एक साथ उसके कई एजेंट काम करते हैं. सबसे पहले वो एजेंट होते हैं जो गांव की भोलीभाली लड़की को अपने शब्दजाल में फांस कर सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं. गांव में अक्सर मां-पिता खेतों पर काम करने चले जाते हैं और घर के कार्य करने और छोटे बच्चों को संभालने के लिए बड़ी बहन घर में अकेली रह जाती है. ऐसे में एजेंट, जो गांव की ही कोई महिला या पुरुष होता है, उस लड़की से मित्रता करता है. फिर उसे बाहर भेजने, खूब सारे पैसे मिलने, और शहरी चकाचौंध की झलक दिखाता है. बताता है कि ढेर सारे पैसे मिलने के बाद उसका व उसके परिवार का भविष्य अच्छा हो जाएगा. उसके छोटे भाई-बहन पढ़ लिख पाएंगे. मां-बाबा को इतना काम नहीं करना होगा. अपना घर, अपना कुआं होगा.

अगर गांव की कोई लड़की पहले से बाहर गयी हो तो उसका उदाहरण देकर समझाता है. अबोध लड़की उसके झांसे में आ जाती है और एक दिन बिना किसी को बताए उस तथाकथित मौसी, फुआ या चाचा के साथ चल पड़ती है. ऐसे ही झांसे कई गांव की लड़कियों को दिया जाता है और कई बार एक ही गांव की लड़कियां इनके जाल में फंस जाती है. कई बार सहेलियां भी इस काम में मदद करती हैं. वो कहती हैं कि मैं जा रही हूं, तुम भी साथ चलो.

इसके बाद एक निश्चित तारीख को सभी लड़कियों को लेकर वह एजेंट पास के शहर में चला जाता है, जहां से बाहर जाने के लिए रेलगाड़ी की सुविधा है. वह पहला एजेंट लड़कियों को दूसरे एजेंट के हाथों सौंप गांव वापस चला जाता है, ताकि उस पर किसी को शक नहीं हो.

यहां शहर वाला एजेंट उसे रेलगाड़ी में बिठाकर महानगर की ओर चला जाता है. पहले सभी लड़कियों को एक साथ जनरल बोगी में बिठकार ले जाया जाता था. मगर जब से जनता थोड़ी जागरूक हुई और पुलिस की दबिश बढ़ी है, ऐसे लोग लड़कियों को अलग-अलग बिठाते हैं. वो भी एसी सेकेंड या एसी थर्ड में. जहां उसके खाने-पीने का भरपूर ध्यान रखा जाता है. फिर ये लड़कियां महानगर की प्लेसमेंट एजेंसी में पहुंचा दी जाती हैं. रास्ते तक के एजेंट का काम यहीं समाप्त हो जाता है. वह लौट जाता है. अब एजेंसी वाले लोग लड़कियों की सप्लाई करते हैं. जब तक उन्हें काम नहीं मिलता, वहीं एजेंसी में रखा जाता है. इस बीच ऐसे परिवार की खोज होती है या इंतजार होता है जो उन बच्चियों को अपने घर में ले जाए.

ऐसे बिचौलियों या गांव के एजेंट को प्रति लड़की 2000 रुपये तक कमीशन मिलता है. नामकुम का मंगरा, जो पहले लड़कियों की तस्करी का काम करता था, अब ग्रामीणों के दबाव के कारण काम करना छोड़ चुका है. बताता है कि उसने करीब 10 से 12 लड़कियों को बाहर भेजा है. उसे प्रति लड़की 1000 रुपये मिलते थे. मगर गांव में बदनामी हो गयी. लोगों ने एक बार मारपीट की, समझाया भी. तब से यह काम छोड़ चुका हूं. मगर जानकारी ये भी मिली है कि कई बार दलालों को एक लड़की के 25 हजार भी मिले हैं.

अब उधर एजेंसियों का जरूरतमंद परिवार के साथ सौदा तय होता है. जानकारी मिली है कि उनके बीच बात तीन से पांच हजार प्रतिमाह पर तय होती है. रजिस्ट्रेशन फीस अलग. ये भी तय होता है कि पैसा लड़की के हाथ में न देकर एजेंसी के पास जमा होगा.

अध्ययन के दौरान जो आंकड़ा सामने आया है, उसके अनुसार पलायन नौ प्रतिशत बिचौलिये के बहकावे में, तीन प्रतिशत पारिवारिक दबाव में, 37 प्रतिशत दोस्तों/सहेलियों के साथ, शेष 51 प्रतिशत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पलायन करते हैं. सर्वाधिक पलायन करने वालों में 67 प्रतिशत 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की, 15 प्रतिशत 20 से 25 वर्ष तथा 18 प्रतिशत 25 से अधिक आयु वर्ग के होते हैं. भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा पाकिस्तान स्थित अपने कार्यालयों से 47 सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से इस दिशा में कार्यरत गैर सरकारी संगठन एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लायटेशन (एटसेक) के आंकड़ों पर गौर करें, तो विभिन्न माध्यमों से दूसरे प्रदेशों के लिए पलायन करने वाली तकरीबन 10 प्रतिशत महिलाएं लौट कर नहीं आतीं. या यों कहे, उनका कुछ अता-पता नहीं चलता. शेष महिलाएं किसी न किसी रूप में शारीरिक व मानसिक शोषण की शिकार होती हैं. नौकरी की तलाश में जाने वाली हजारों महिलाएं दुराचार का शिकार हो वापस लौटती हैं. कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं कि काम में गयी लड़कियां गर्भवती होकर वापस आयी हैं.

भारतीय किसान संघ के संजय कुमार मिश्र कहते हैं, झारखंड सरकार ने दिल्ली पुलिस और वहां मौजूद एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर ऐसी लड़कियों को बचाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है. उनका कहना है कि हाल ही के दिनों में कई लड़कियों को बचाने में वे लोग कामयाब हुए हैं. कई लड़कियों को रांची के पास भारत किसान संघ द्वारा संचालित किये जा रहे आश्रम में रखा गया है.

जरूरत है कि पलायन न हो, खासकर लड़कियां बाहर न जाएं, इसका ध्यान रखा जाए. गांवों में ही उच्च या तकनीकी शिक्षा के संस्थान खोलना, स्थानीय उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार, अंचलों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई और ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाने योग्य कुछ ऐसे उपाय किया जाए, जिनको आजमाकर गांवों से युवाओं के पलायन को रोका जा सके. इस राष्ट्रीय समस्या के निदान में पंचायत समितियों की भूमिका अहम है. पंचायत संस्थाओं में आरिक्षत वर्गों की सक्रिय भागीदारी कुछ हद तक सामंती शोषण पर अंकुश लगा सकती है; जबकि पानी, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सरीखी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति का जिम्मा स्थानीय प्रशासन को संभालना होगा. और सबसे बड़ी बात गांव के लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें सच समझाना होगा कि इन बातों के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं. बाहर जा रही लड़कियों को ले जाने वाले का संपूर्ण ब्योरा रखें, पैसे को खाते में डलवायें.

(रिपोर्ट इनक्लूसिव मीडिया फैलोशिप 2013 के अध्ययन का हिस्सा है)

निर्मल ग्राम योजना लागू करने में

शिवलीबाड़ी दक्षिणी पंचायत अव्वल

57 शौचालयों का निर्माण पूरा, लक्ष्य 388 का

प्रदीप कुमार

धनबाद जिले के निरसा प्रखंड की शिवलीबाड़ी दक्षिणी पंचायत निर्मल ग्राम योजना लागू करने में अव्वल साबित हुई है. पेयजल व स्वच्छता विभाग के सहयोग से चल रही इस योजना को लागू करने में मुखिया संजय गुप्ता व जलसहिया आरती देवी जोर-शोर से लगी हुई हैं. पिछले दिनों सांदस पीएन

सांसद व जिप अध्यक्ष से पुरस्कार पाती जलसहिया.

सिंह, जिप सदस्य माया देवी ने भी उनके कार्यों को देखा और इसकी सराहना भी की. इस योजना के तहत खुले में शौच को रोकने के लिए सरकारी सहायता से शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है. फिलहाल यहां 57 शौचालय का निर्माण हो गया है, जबकि लक्ष्य 388 का है. इस क्रम में 102 शौचालयों का निर्माण चल रहा है. इसके तहत विभाग की ओर से लाभुकों को 4600 रुपया दिया जाता है, जबकि लाभुकों को 900 रुपया खर्च करना पड़ता है. इसे प्रोत्साहित करने के लिए जलसहिया को 75 रुपया भुगतान किया जा रहा है. बनने के बाद इसके प्रयोग की जिम्मेवारी भी जल सहिया पर होती है. एनजीओ निदान इस संबंध में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है. वहीं विभाग के जेइ साकेत कुमार भी गंभीरता से योजना को पूरा कराने में लगे हुए हैं. मुखिया संजय गुप्ता का कहना है कि इसके बाद आबादी के बीच कम्युनिटी बाथरूम का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए 300 रुपया प्रति माह प्रयोग करने वालों से वसूला जायेगा. एक स्थान पर छह-छह शौचालय महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग बनाया जाएगा. श्री गुप्ता व आरती को उनके कार्यों के लिए सांसद व जिप अध्यक्ष ने सम्मानित भी किया.

कानून के अनुसार देखरेख और संरक्षण की विशेष जरूरत वाले बच्चों के मुद्दों को हल करने के लिए हर जिले में एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) का गठन अनिवार्य है. यह पांच-सदस्यीय समिति एक अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करती है और इसके सदस्यों में कम से कम एक महिला और एक बच्चों के मामलों का विशेषज्ञ शामिल होता है.